

# छत्तीसगढ़ शासन

## श्रम विभाग

दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर


### —: अधिसूचना :—

रायपुर, दिनांक: 8 / 12 / 2010  
क्रमांक एफ 10-36 / 2010 / 16: संविदा श्रमिक (नियमन एवं समाप्ति) अधिनियम, 1970 की धारा 35 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 12 (2) सहपठित छत्तीसगढ़ नियम, 1973 के नियम 24 (1) में निम्नानुसार संशोधन एतद् द्वारा किया जाता है:-

“ अनुज्ञप्ति प्राप्त करते समय प्रति श्रमिक प्रतिभूति की राशि रूपये 200/- के स्थान पर रूपये 1000/- ठेकेदार से अनुज्ञप्ति अधिकारी जमा करायेगा।”


उपरोक्त आदेश अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(के०डी० कुंजाम)

उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग




पृ.क्रमांक एफ 10-36 / 2010 / 16,

रायपुर, दिनांक: 8 / 12 / 2010.

प्रतिलिपि:-

- 1 विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०)
- 2 प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०)
- 3 निज सहायक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग मंत्रालय, रायपुर (छ०ग०)
- 4 समस्त सभागायुक्त, .....
- 5  श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर
- 6 समस्त कलेक्टर, .....
- 7 समस्त सहायक श्रमायुक्त / श्रम पदाधिकारी .....
- 8 उप संचालक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनादगांव की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 50 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
उप सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग